

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

// परिपत्र //

क्रमांक :- /कोविड-19/21

कटनी दिनांक 14.08.21

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा न्यायालयों के संचालन बावत समय समय पर जारी एस.ओ.पी. में दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिला न्यायालय कटनी अंतर्गत सत्र/समस्त अपर सत्र/परिवार न्यायालय/विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/व्यवहार न्यायालय/मजिस्ट्रेट न्यायालय, बाह्य न्यायालय बरही, विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा सहित में दिनांक 16.08.21 से नियमित रूप से प्रकरणों की भौतिक सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत की जावेगी। न्यायालयों के कार्य संचालन का समय नियमानुसार प्रातः 10:30 से सांय 05:30 तक होगा।

प्रकरणों की सामान्य नियमित भौतिक सुनवाई के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का समुचित पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जिन प्रकरणों की सुनवाई आभासी/वर्चुअल माध्यम से की जा सकती है, उक्त प्रकरणों की सुनवाई यथासंभव अधिक से अधिक वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से की जावे।

(श्यामाचरण उपध्याय)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.
कटनी, दि.

पृ.क्रमांक :- क्यू /कोविड-19/2021

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो जज, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी
04. समस्त न्यायाधीशगण जिला न्यायालय कटनी/बाह्य न्यायालय बरही, विजयराघवगढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।
05. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं शासन के सभी विभागों को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
06. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थाना प्रभारियों को पालनार्थ अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
07. अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी/बरही/वि. गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

08. अधीक्षक, जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. उप संचालक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. जूनियर सिरस्टम एनालिस्ट कटनी की ओर सभी संबंधित को ईमेल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु।

प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी-म.प्र. 1 Aug 2024